रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2009/माघ 10, 1930
No. 47] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2009/MAGHA 10, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2009

सा.का.नि. 58(अ).—मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) संशोधन नियम, 2008 का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 18 जुलाई, 2008 को भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. 545(अ), तारीख 18 जुलाई, 2008 को प्रकाशित किया गया था, जिससे ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित थी, जनता को 23 जुलाई, 2008 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप की बाबत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उप-धारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 में नियम 15 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"16. सामूहिक उत्सर्जन मानकों की अनुरूपता.—पर्यटक परिवहन आपरेटर ऐसी यात्रा, जिनका उद्‌भव और गंतव्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आता हो, के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी यान का तब तक वचनबद्ध या उपयोग नहीं करेगा, जब तक ऐसा यान केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 के उप-नियम (14) में विनिर्दिष्ट सामूहिक उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम-3) के अनुरूप न हो ।"।

[फा. सं. आर टी-11011/1/2008-एम.वी.एल.]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. 541(अ) तारीख 10 अगस्त, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसका अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 444(अ) तारीख 26 जून, 2007 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2009

G.S.R. 58(E).—Whereas, the draft Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Amendment Rules, 2008 were published as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act,

1988 (59 of 1988) in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), No. G.S.R. 545(E), dated the18th July, 2008 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 18th July, 2008, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 23rd day of July, 2008;

And, whereas, the objections and suggestions received in respect of the said draft rules within the specified period considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (14) of Section 88 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993.—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993, after rule 15, the following rule shall be added, namely :—

"16. Conformity to mass emission standards.— The Tourist Transport Operator shall not engage or use any vehicle for the purpose of journey, the origin and destination of which falls within the National Capital Region, unless such vehicle conforms to the mass emission standards (Bharat Stage-III) specified in sub-rule (14) of rule 115 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.".

[F. No. RT-11011/1/2008-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 541(E), dated the 10th August, 1993 and last amended *vide* number G.S.R. 444(E), dated the 26th June, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

10.30